अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

25/2021/225 कमला v/s जयसिंह (मृ.) चावण्डसिंह वगै.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री भैरुलाल शर्मा श्री	

कमला बनाम जयसिंह वगैरह

11.2.21 पत्रावली सुनवाई प्रार्थना पत्रों व अपील पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. व धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी पर शुरू से ही काबिज रहने एवं पारिवारिक बंटवारा में उक्त आराजी प्रार्थी को प्राप्त होने बाबत् कथन अंकित किये है परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात जो कि मौके पर प्रार्थी द्वारा काबिज काश्त होने तथा पारिवारिक सेटलमेन्ट बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध बिना सुने, बिना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये, जो एक तरफा निर्णय पारित किया गया है वह विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में एडवर्स पजेशन के आधार पर अभिवचन अंकित कर 50 सालों से लगातार काबिज होने से खातेदारी घोषणा चाही है जबकि कानूनी प्रावधानों के तहत् एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मेन्टेबल नहीं है तथा प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 14.11.2014 पर किसी भी प्रकार से अंतिम निर्णय पारित नहीं करते हुए आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों के विपरीत बिना किसी कारण अभिलेखित किये तारीख बढ़ाई जा रही है। विवादित भूमि अपीलांट की मोरूषी मुस्तर्का सम्पत्ति है। जिस पर अपीलांट को विरासतन अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा अपीलांट के पिता का रिकार्ड आफ राईट व खसरा गिरदावरियों में बखूबी साबित है तथा मौके पर अपीलांट काबिज चली आ रही है। उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही कोई ऐसा दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2014 से स्थगन जारी होकर अपीलांट को जानकारी दिनांक 20.12.2017 को हाजिर अदालत होकर उज्र आपत्ति व ऐतराज प्रस्तुत करने के पश्चात भी स्थगिन खारिज नहीं करने से जारी अन्तरिम स्थगन निरस्ती नहीं करने अपीलांट को अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अपीलांट संख्या 3/1 लगातार 3/6 अप्रार्थी संख्या 04 धापू के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिसे पक्षकार संयोजित कर अपील प्रस्तुत की गई है तथा उनकी ओर से धारा 96 जा.दी० का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 02.11.2020 को भी अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन करने के पश्चात भी स्थगन पर सुनवाई नहीं करने से अपील प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मियाद कन्डोन हेतु निवेदन किया गया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 14.11.2014 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

25/2021/225 कमला वि. जयसिंह (मृ.) चावण्डसिंह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री भैरूलाल शर्मा श्री	

लगातार

अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। बाद अवलोकन अपील में अपीलांटस हितबद्ध पक्षकर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को न्यायहित में स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे सद्भाविक एवं उचित प्रतीत होते है। अतः अपील में हुआ विलम्ब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश है न कि अंतिम आदेश। यद्यपि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है किन्तु हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि अपीलांटस को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अधीनस्थ न्यायालय 30 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू